राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.3(1201)नविवि/3/2012पार्ट

जयपुर, दिनांकः 17 SEP 2018

आदेश

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना की अवधि दिनांक 31.12.2018 तक बढाई गई थी। राजस्थान नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के अन्तर्गत प्राधिकरण/न्यास द्वारा आवंटित/नीलामी में विक्रय किये भूखण्डा पर निर्धारित समयावधि मे निर्माण नहीं होने पर आवंटन निरस्त होने का प्रावधान है। विभागीय आदेश क्रमांक प.3(1201)नविवि/3/2012पार्ट दिनांक 24.04.2018 द्वारा निर्धारित अवधि में निर्माण नहीं करने पर पुनर्ग्रहण राशि लेकर अपने स्तर पर आवंटन को नियमन करने की कार्यवाही दिनांक 30.06.2018 तक करने हेतु विकास प्राधिकरण/न्यास को अधिकृत किया गया था। राज्य सरकार के सक्षम स्तर से लिये गये निर्णय अनुसार उक्त आदेश के अन्तर्गत कार्यवाही करने की अवधि दिनांक 31.12.2018 तक बढाई जाती है।

भवदीय,

17/9/18

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णय अनुसार लेख है कि उक्तानुसार कार्यवाही नगर पालिका अधिनियम/नियमों के तहत की जावें।
6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर/अजमेर/जोधपुर विकास प्राधिकरण।
8. संयुक्त शासन सचिव/प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. मुख्य नगर नियोजक/मुख्य नगर नियोजक (एन.सी.आर.), राजस्थान, जयपुर।
10. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त), राजस्थान।
11. रक्षित पत्रावली।

17/9/18

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम